आज हो सकता है बैकलॉग शिक्षकों की भर्ती का फैसला

कोर्ट ने लौटाया, कार्यपरिषद में खुलेगा सील बंद लिफाफा

नवभारत,जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बैकलॉग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। विगत वर्ष भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई तरह की शिकायतें विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंची थीं। जिसमें कुछ अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एमपी हाईकोर्ट पहुंचे थे। हालांकि एमपी हाईकोर्ट ने लिफाफा लौटाते हुए उसे खोलने से इनकार कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस सीलबंद लिफाफे को रादुविवि की होने वाली कार्यपरिषद बैठक में प्रस्तुत किया गया है, संभावना है कि आज बैठक में सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा। जिसको लेकर शिक्षकों, अभ्यर्थियों और विश्वविद्यालय समुदाय की निगाहें टिकी हुई हैं।

विवि ने की थी जांच समिति गठित

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय ने शिकायतों की जांच के लिए 28 नवंबर 2024 को चार सदस्यीय तथ्यात्मक अन्वेषण समिति गठित की। समिति ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में प्रस्तुत की थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि समिति का गठन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया है, इसलिए उसकी अनुशंसाओं पर अंतिम निर्णय भी विश्वविद्यालय प्रशासन ही लेगा।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर आई थी शिकायतें

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा 19 अगस्त 2021 के मूल विज्ञापन और 18 अप्रैल 2023 के संशोधित विज्ञापन के आधार पर आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इंटरव्यू संपन्न होने के बावजूद चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई तरह की शिकायतें विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंची थी। इसी दौरान कुछ अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एमपी हाईकोर्ट पहुंचे थे।

हत्यारें को आजीवन कारावास

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी जितेन्द्र भूमिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सह आरोपी अभिषेक ठाकुर, पूजा गौड़ कौशल्या बाई रजक को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक बविता नागदेव ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 19 नवंबर 2023 की शाम पनागर के कसही कालोनी चौहरा मोड़ पर सौरभ श्रीपाल के साथ गांव का अपचारी बालक, अभिषेक ठाकुर, पूजा गौड़, कौशाल्या बाई रजक डंडे से मारपीट कर रहे थे। उसी समय जितू भूमिया हाथ में चाकू लेकर आया और बोला कि इसने आज मेरे साथ भी विवाद किया, इसे जान से खत्म कर दो। जिसके बाद जित्तू भूमिया ने दनादन चाकू से सौरभ श्रीपाल पर वार कर दिये, वहीं अन्य आरोपी लाठी-डंडे से मारपीट कर रहे थे।

कैंट बोर्ड चुनाव होगा या नगरीय निकायों में विलय, असमंजस बरकरार

अधिकृत बयान देने से बच रहे जिम्मेदार

5 साल से नहीं हुए हैं कैंट बोर्ड चुनाव

नवभारत,जबलपुर। 5 साल बीत चुके हैं और देश भर के कैंट बोर्ड के नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खबर ये भी सामने निकलकर आ रही है कि कैंट बोर्ड जबलपुर का नगरीय निकायों में विलय की भी प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है ऐसे में कैंट के सिविल एरिया की आबादी की समस्याओं के हल होने में समस्याएं सामने आ रही हैं।

मतलब साफ है कि कैंट बोर्ड में विलय होने या चुनाव होने की बात पर अभी भी मुहर नहीं लगी है। आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी कहने से कैंट बोर्ड के अधिकारी बच रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ प्रवास के दौरान कैंट के पूर्व बोर्ड मेम्बर्स

को आश्वासन दिया था कि चुनाव जल्द कराए जाएंगे। जानकारी के अनुसार आधिकारिक रूप से उच्च कमान के द्वारा ये घोषणा की जानी है कि कैंट बोर्ड का नगरीय निकायों में विलय उचित रास्ता है या फिर कैंट बोर्ड चुनाव कराने का रास्ता ठीक है। फिलहाल ये कह पाना बिल्कुल आसान नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठता है।

कुछ की सहमति और कुछ जता रहे विरोध

कैंट बोर्ड जबलपुर की बात करें तो यहां के कुछ पूर्व सदस्य चाहते हैं कि कैंट बोर्ड चुनाव को पूरा कराया जाए वहीं कुछ सदस्य मतदाता सूची में लोगों के नाम काटे जाने का हवाला देकर विरोध के स्वर को बुलंद कर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में चुनाव नहीं कराए जाने की मांग उठने लगी है। वहां के रहवासियों का कहना है कि संपत्तियों से जुड़े मामलों में भारी भरकम टैक्स देने से वे त्रस्त हो चुके हैं यदि ऐसे में रक्षा मंत्रालय से फिर से चुनाव की प्रक्रिया की जाती है तो वे उसका भरपूर विरोध करेंगे।

इसलिए उठ रही मांग

पिछले लंबे समय से कैंट में चुने जाने वाले 8 वार्डों के मेम्बर के चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में यहां की आबादी की जो समस्याएं होती हैं जैसे पेयजल, सफाई, प्रकाश या निर्माण संबंधी के निराकरण नहीं हो पा रहे हैं। मेम्बर के होने से वे जनता का पक्ष रखते थे और बोर्ड मीटिंग में सकारात्मक निर्णय भी होते थे। लेकिन कैंट बोर्ड सदस्य नही होने से इन सभी समस्याओं को लेकर मेंबर चुनाव कराने की मांग उठने लगी है।

आयुध निर्माणियों में मनाया गया ब्लैक डे

नए श्रम कानून का किया गया पुरजोर विरोध

नवभारत,जबलपुर। पूरे भारतवर्ष में स्थापित 41 आयुध निर्माणियों में बुधवार को सरकार द्वारा जारी किए गए नए चार श्रम कानून का विरोध किया। इस दौरान कर्मचारियों ने ये दिन काला दिवस मनाते हुये विरोध प्रदर्शन जताया इस मौके पर ऑल इंडिया डिफेंस एंप्लॉय फेडरेशन ने इस मजदूर विरोधी कानून बताया और कहा कि नए श्रम कानून सिर्फ औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने एवं स्थाई नौकरी को समाप्त करने हेतु बनाया गया है। जीसीएफ में प्रदर्शन के दौरान विनय गुप्ता ,उत्तम विश्वास, राजा पांडे ,आशीष विश्वकर्मा ,रितेश बेन, मुकेश साहू सहित बड़ी संख्या में अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति रही।

नई श्रम संहिता के विरोध में प्रदर्शन

नई श्रम संहिता के विरोध में मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने सरकार के निर्णय का विरोध किया। फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने कहा कि नई संहिताओं के लागू होने से श्रमिकों के अधिकार सीमित होंगे, छंटनी और लॉकआउट आसान हो जाएगा। फेडरेशन ने पुरानी पेंशन बहाल करने, सभी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने और पेंशनरों की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की। प्रदर्शन में फेडरेशन के वरिष्ठ नेता सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

30 लाख का फर्जी भुगतान, वन अधिकारियों समेत चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज

वनपाल के पुत्र की कम्पनी को किए गए फर्जी भुगतान

जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने 30 लाख के फर्जी भुगतान मामले में वन अधिकारियों समेत चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फर्जी भुगतान वनपाल के पुत्र की कम्पनी को किए गए थे। वनपाल के उसी पुत्र के नाम मजदूरी का भी फर्जी भुगतान किया गया। ईओडब्ल्यू जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अनादि बुधोलिया उप वन मंडलाधिकारी परासिया, छिन्दवाड़ा , कीर्ति बाला गुप्ता परिक्षेत्र अधिकारी, सांवरी रेंज, छिन्दवाड़ा, हीरालाल सनोड़िया वन परिक्षेत्र अधिकारी सांवरी रेंज छिन्दवाड़ा, बनपाल चेतराम चौबे के पुत्र सुशील चौबे ने आपसी साठगांठ कर कैम्पा योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों में फॉरेस्टर चेतराम के पुत्र सुशील चौबे को फर्जी मजदूर बताकर इसी फर्जी मजदूर सुशील चौबे की फर्म अवनी कंस्ट्रक्शन के खातों में निर्माण कार्य एवं बाउण्ड्रीवाल आदि निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि का आहरण कर फर्जी भुगतान किया एवं एक ही कार्य के लिये एक ही मजदूर को 2 बार भुगतान किया। अनाधि बुधोलिया अपने सेवाकाल के 19 वर्षों में से 17 वर्ष एक ही वन मण्डल में पदस्थ रहा है।

यह है गड़बड़झाला

शिकायत की जांच पर पाया गया कि वन पाल के पुत्र सुशील चौबे को वन विभाग द्वारा 2,71,379 रुपये की मजदूरी का फर्जी भुगतान किया गया, साथ ही सुशील चौबे की अवनी कन्स्ट्रक्शन को कैम्पा व अन्य मद से कुल राशि 23.21,199 रुपये का भुगतान वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त जांच में सांवरी परिक्षेत्र में बाउण्ड्री वाल निर्माण के लिये स्वीकृत 15 लाख रुपये में से 6.97.643 रूपये के देयक पाये गये तथा शेष राशि का गबन कर लिया गया। उक्त कार्य बिना स्वीकृति प्राप्त कर किये गये तथा स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व ही 2,22,176 रूपये भुगतान किया गया। उपरोक्त भुगतान भण्डार क्रय नियम व शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के विपरीत जाकर किया गया। साथ ही वन मण्डल परासिया द्वारा 4 कैमरे की डी.व्ही.आर. व सी.सी.टी.व्ही. कैमरा के लिए स्थानीय सप्लायर मेसर्स डिजिटल एक्स छिन्दवाड़ा को कोटेशन से अधिक 52,534 रुपये का भुगतान कार्य स्वीकृति के पूर्व ही वन विभाग परासिया के अधिकारियों द्वारा किया गया।

सरकारी अधिकारी का पुत्र बना फर्जी मजदूर

उल्लेखनीय है कि आरोपी सुशील चौबे का पिता चेतराम चौबे उसी वन मण्डल में घटना समय फॉरेस्टर के पद पर पदस्थ रहा है। उसी सरकारी अधिकारी के पुत्र को फर्जी मजदूर के रूप में दिखाया जाकर 2,71,337 रूपये का भुगतान कर दिया गया है। इसी क्रम में आश्चर्यजनक रूप से इसी फर्जी मजदूर सुशील चौबे की स्वयं की फर्म अवनी कंस्ट्रक्शन छिंदवाड़ा को कैम्पा योजना का 23.21,199 रुपये का भुगतान फर्म के छिन्दवाड़ा स्थित ऐक्सिस बैंक के खाते में किया गया।

ऐसे किया फर्जीवाड़ा

जांच के दौरान पाया गया अवनी कंस्ट्रक्शन फर्म का नाम वही पदस्थ चैतराम चौबे की सुपुत्री अवनी के नाम पर रखा गया है और वनपाल का पुत्र सुशील चौबे उसे संचालित करता है। यही सुशील चौबे वन विभाग के निर्माण कार्यों में मजदूर के रूप में दर्ज होकर मजदूरी भी प्राप्त कर रहा था।

आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ लामबंद हुआ ब्राम्हण समाज

घंटाघर चौक पर एकजुटता दिखाकर दंडात्मक कार्रवाई की उठाई आवाज

नवभारत,जबलपुर। अजाक्स के नए प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के खिलाफ बुधवार को ब्राम्हण समाज का आक्रोश फूट पड़ा और फिर बड़ी संख्या में ब्राम्हण समाज के लोगों ने मातृशक्तियों के साथ एकजुट होकर घंटाघर चौक पर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उसे जेल भेजा जाए। इस दौरान डॉ. कल्पना मिश्रा, राम दुबे, कपिल दुबे सहित ब्राम्हण समाज के अन्य प्रदर्शनकारियों ने दोटूक कहा कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ अगर जल्द एफआईआर दर्ज कर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पूरे देश में ब्राम्हण समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन, राज्य शासन की होगी। ब्राह्मण एकता मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि अजाक्स के नए प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने हाल ही में ये कहा है कि आरक्षण तब तक जारी रहे जब तक कोई ब्राह्मण मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी नहीं दे देता। प्रदर्शनकारियों ने इस बयान की तीखी निंदा की है और कहा है कि ऐसे बयान देने वाले को हम लोग भगवान परशुराम के शस्त्र लेकर दौड़ाकर मारेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ ब्राम्हण समाज के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।

ब्राह्मण महासभा ने किया संतोष वर्मा का पुतला दहन

मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा ने आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनका पुतले का दहन किया। इस अवसर पर महिला शक्ति भी बड़ी संख्या में उपस्थित रही और नारी अपमान के खिलाफ अपना विरोध जताया। ब्राह्मण महासभा ने मांग की कि संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। महासभा ने आरोप लगाया कि वर्मा की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही अपराधिक रही है और उनके खिलाफ धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े जैसे मामले की जांच चल रही है। महासभा ने कहा कि इस प्रकार का बयान जांच को प्रभावित करने का प्रयास माना जाएगा। इस मौके पर आलोक मिश्रा, सत्येंद्र ज्योतिषी, संजय तिवारी, कपिल दुबे, राहुल दुबे, रत्नेश मिश्रा, गुड्डा त्रिपाठी, आलोक उपाध्याय, चंद्रशेखर शर्मा, पंकज वैदेही, अरविंद पांडे, राकेश पचौरी, अरुण दीक्षित, नीलेश चौबे, जीतू महाराज, अखिलेश शर्मा, आर . के . प्यासी, रॉबिन तिवारी, राहुल शुक्ला, अरविंद बाजपेई, शशांक पांडे, संजय गौतम सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट ने कहा अर्जित अवकाश का नब्बे दिनों में करे भुगतान

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने अर्जित अवकाश की राशि का नब्बें दिनों में भुगतान करने के निर्देश दिये है। उक्त निर्देश के साथ ही न्यायालय ने मामले का पटाक्षेप कर दिया। दरअसल यह मामला याचिकाकर्ता दमोह की जबेरा तहसील अंतर्गत ग्राम सिंहपुर निवासी घनश्याम सिंह की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया कि उनकी नियुक्ति 13 नवंबर 1969 को सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी। 1987 में शिक्षक व 1997 में अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुआ। 2013 में सेवानिवृत्त हो गया। लेकिन उसे अर्जित अवकाश की राशि का भुगतान नहीं किया गया। अभ्यावेदन का कोई नतीजा नहीं निकला, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। पूर्व में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में आदेश पारित किया था, लेकिन उसका पालन नही किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने अभ्यावेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि सर्विस बुक में 211 दिन दर्ज हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है।

बगैर काम कराये स्वीकृत राशि आहरण कर किया 22 .87 लाख का गबन

जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर (ईओडब्ल्यू) ने बगैर काम कराये स्वीकृत राशि आहरण कर 22.87 लाख का गबन करने वाले तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। ईओडब्ल्यू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जगन सिंह परते पिता पिट्ट सिंह परते, निवासी ग्राम बीरमपुर, बीजाडाडी, तहसील नारायणगंज, मण्डला एवं अन्य के द्वारा बीरन सिंह कोकड़िया, संरपच ग्राम पंचायत, बेलखेड़ी एवं मिथलेश उद्दे, सचिव ग्राम पंचायत बेलखेड़ी के खिलाफ शिकायत की गई थी वर्ष 2014 से लेकर वर्ष-2021-22 तक ग्राम पंचायत बेलखेड़ी में स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्य जिनमें संरपच एवं सचिव के द्वारा काम बगैर कराये ही एवं अधूरा कार्य कराया जाकर कार्य संबधित राशि आहरण कर लिया गया हैं। शिकायत पर जनपद पंचायत से गठित जांच दल के द्वारा वर्ष 2014 से 2021-22 तक करायें गये निर्माण कार्यों की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत बेलखेड़ी के तत्कालीन सरपंच बीरनसिंह कोकडिया एवं सचिव मिथलेश उद्दे द्वारा ग्राम पंचायत बेलखेडी में वर्ष 2014 से वर्ष-2020-21 तक करायें गये विभिन्न निर्माण कार्यों में प्राप्त राशि का दुरुपयोग कर बिना कार्य कराये ही एवं अपूर्ण कार्य कराया जाकर कार्य से संबधित स्वीकृत राशि आहरण कर, वित्तीय अनियमितता कर लगभग 22,87,370 रूपये राशि का आर्थिक लाभ उठाते हुये धोखाधड़ी कर गबन किया किया है।

उप्र से लौटा युवक, घर का टूटा मिला ताला

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुभाष नगर में चोरों ने एक सूने घर का ताला तोड़कर जेवरात, नगदी पार कर दी। युवक जब उप्र से वापिस घर लौटा तो घर का ताला टूटा मिला। पुलिस के मुताबिक अंशुल कुमार 38 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुभाष नगर आधारताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 15 नवम्बर को घर में ताला लगाकर सपरिवार गाजियाबाद उप्र गया था। कल शाम को घर वापस आया तो देखा कि अलमारी खुली थी अंदर जाकर चैक किया तो सोने की चेन का 1 पेंडल, 2 जोडी कान के कुण्डल, 3 अंगूठी, 1 हाय, एवं नगद 65 हजार रूपये गायब थे। कोई अज्ञात चोर सूने मकान का ताला तोडकर जेवर एंव नगदी रूपए चुरा ले गया है।

जीवित को मृत दर्शाकर दो करोड़ की जमीन कम दामों में बेची

धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार ईनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार

जबलपुर। षडयंत्र रचते हुए जीवित व्यक्ति को मृत दर्शाकर धोखेबाज ने स्वयं को बारसान बताते हुए दो करोड़ की संपत्ति हड़पकर कम दामों पर बेचने वाले ईनामी आरोपी को संजीवनी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

टीआई बी.डी. द्विवेदी ने बताया कि राजकुमार जैन निवासी मेन रोड गोटेगांव नरसिंहपुर ने लिखित शिकायत की थी कि उसके स्वामित्व की ग्राम कठोंदा में कृषि भूमि है। उसकी स्वामित्व की जमीन को उसके जीवित रहते हुये उसे मृत बताकर फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर छल व धोखाधड़ी करते 21 अगस्त 2024 को उसकी जमीन को अन्य को विक्रय कर धोखाधडी की गयी। जांच में यह बात सामने आई कि विनोद केवट प्रमोद केवट मनोज केवट की मां माया बाई केवट व सावित्री केवट के साथ मिलकर गोपाल केवट ने षडयंत्र करते हुए जीवित राजकुमार जैन होते हुये मृत बताकर हम उम्र लगभग 60-62 वर्ष की माया व सावित्री केवट को जीवित राजकुमार जैन का बारसान बताते हुए राजस्व विभाग हल्का पटवारी से मिलकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर खसरा नं0 54 में माया बाई व सावित्री बाई का नाम दर्ज कराया गया । माया बाई की मौत होने पर उनके बारसान पुत्र विनोद केवट, प्रमोद केवट, मनोज केवट यह जानते हुए कि वह जमीन उनकी नही है और जमीन का मूल हकदार राजकुमार जीवित व काबिजदार है षडयंत्र करते हुए फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फौती रिपोर्ट दर्ज कराकर तात्कालीन हल्का पटवारी से मिलकर अपना नामांतरण करते हुए अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराये। यह जानते हुए कि उक्त जमीन उनकी नही है और जमीन का मूल बारसान राजकुमार जैन जीवित व काबिजदार है उक्त राजस्व अभिलेखों का उपयोग करते हुए षडयंत्र पूर्वक विनोद केवट प्रमोद केवट मनोज केवट सावित्री बाई गोपाल केवट ने सुरेन्द्र सिंह राठौर, संतोष कुशवाहा व अन्य के साथ मिलकर षडयंत्र करते हुए बिना स्वामित्व भूमि का विक्रय शकुंतला राठौर पति सुरेन्द्र सिंह राठौर को कम दामों में विक्रय किया जबकि भूमि का बाजार मूल्य 2 करोड रूपये है । संपूर्ण शिकायत की जांच में आए साक्ष्य के आधार पर स्व माया केवट, सावित्री केवट, गोपाल केवट, विनोद केवट ,मनोज केवट, प्रमोद केवट, शकुंतला राठौर, सुरेन्द्र सिंह राठौर, संतोष कुशवाहा, रीता केवट, मुकेश पाण्डेय के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी विनोद केवट, मनोज केवट, गोपाजल, सुरेन्द्र राठौर, शकुन्तला राठौर को पूर्व मे गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रकरण के आरोपी प्रमोद केवट, संतोष कुशवाहा, मुकेश एवं रीता केवट फरार थे । जिनकी गिरफ्तारी पर प्रत्येक पर 4-4 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। फरार आरोपी प्रमोद केवट को गिरफ्तार किया गया ।

आईटी पार्क में गार्ड को सीने-हाथ में उठा दर्द, मौत

जबलपुर। तिलवारा थाना आईटी पार्क बरगी हिल्स में सिक्योरिटी गार्ड को बुधवार दोपहर अचानक सीने और हाथ में दर्द उठा। आनन-फानन में गार्ड को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नीरज चडार 19 वर्ष ने सूचना दी कि मोहनलाल चडार 57 वर्ष आईटी पार्क बरगी हिल्स तिलवारा में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत थे, दोपहर 2 बजे ड्यूटी के दौरान उसके पिता के सीने व हाथ में दर्द होने पर माँ द्वारा मेडिकल कालेज ले जाया गया जहाँ दोपहर 3 बजे उसके पिता मोहनलाल चडार 57 वर्ष को डाक्टर ने चैक कर मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

अपराध — हत्या, हादसा, आत्महत्या एंगल पर छानबीन

कुएं में उतराती मिली गुमशुदा युवती की लाश

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत सुभाष वार्ड में रहने वाली युवती की बुधवार सुबह कुएं में लाश पड़ी मिली। मृतिका किन परिस्थितियों में डूबी इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस मर्ग कायम कर हत्या, आत्महत्या और हादसे के एंगल पर छानबीन कर रही है।

जानकारी के मुताबिक सुभाष वार्ड में रहने वाले श्याम बिहारी मिश्रा की तीन बेटियां है। जिनमें से दो की शादी हो चुकी है जबकि तीसरी बेटी ऋचा मिश्रा माता पिता के साथ रहती थी। मंगलवार की रात्रि एक विवाह समारोह में शामिल होने श्याम पत्नी के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गए थे। घर

में ऋचा मिश्रा अकेली थी। देर रात जब पति पत्नी वापस लौटे तो बेटी घर में नहीं मिली। दरवाजा खुला हुआ था। चिंतित परिजनों ने पहले तो अपने स्तर पर खोजबीन की लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई । बुधवार सुबह पुलिस पहुंची। घर के समीप एक कुएं का ढक्कन खुला दिखा तो शंका हुई जिसके बाद कुएं की सर्चिंग कराई गई तो ऋचा मिश्रा 32 वर्षीय का शव मिला। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाते हुये मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

तीन वर्षों से डिप्रेशन में थी मृतिका

टीआई विपिन ताम्रकार ने बताया कि युवती तीन वर्षों से डिप्रेशन में थी। मानसिक बीमारी का उसका इलाज भी चल रहा था। कुएं में डूबने से युवती की कैसे मौत हुई इसका पता लगा लगाया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

उप्र जाने वाला था परिवार

बुधवार को पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के इटावा में एक विवाह समारोह में जाने वाला था लेकिन बेटी की मौत के बाद माता पिता सदमे में है। मातम पसरा हुआ है परिजनों का रो-रोककर बुरा हाल है।

पलंग से गिरे बुजुर्ग की मौत

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत शंकर नगर में पलंग से गिरे बुजुर्ग को सिर में चोटें आ गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बुधवार को मेडिकल कालेज से सूचना मिली कि बाबूलाल अहिरवार 70 वर्ष निवासी शंकर नगर कटंगी को घर में पलंग से गिर जाने से सिर मे आयी चोट के कारण बेटी द्वारा कैजुअल्टी में लाया गया था जिसे डाक्टर ने परीक्षण उपरांत मृत घोषित कर दिया।

नवभारत
आवश्यकता है
देश के अनेक स्थानों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।
एकाउंटेंट :- (5 वर्षों के अनुभवी को प्राथमिकता)
बिलिंग ऑपरेटर :- (एमआईएस)
महिला + पुरुष रिपोर्टर :- (2 वर्ष के अनुभवी को प्राथमिकता)
कंप्यूटर ऑपरेटर :- (कोरल ड्रा अनिवार्य)
कार्यालय-नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर
संपर्क करें :- 9752721239, 8305852507
(दोपहर - 12 से शाम 8 बजे तक)
E mail - navbharatjabalpur@gmail.com

भवन निर्माण
₹ 1500/- वर्गफुट कंस्ट्रक्शन
माड्यूलर किचिन लेटबाथ स्टील रेलिंग बिजली पानी, मटेरियल सहित, कम्पलीट वर्क
संपर्क करे
कमलेश पटेल- मो.नं. 6260334877

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57